फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय निलम्बित पटवारी पो. रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 72/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.01.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा जरिये पत्रांकः—सामान्य/सूचना का अधिकार/2018/195 दिनांक 27.12.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचनाऐं निर्धारित अवधि मे तैयार कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 192 दिनांक 16.11.2018 के द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवा कर सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था, परन्तु अपीलार्थी ने आज दिनांक तक कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराकर सूचनाऐ प्राप्त नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचनाऐं कार्यालय मे तैयार रखी गई है। अपीलार्थी चाहे तो नियमानुसार सूचनाऐं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी बावजूद सूचना के वांछित सूचनाऐ प्राप्त नहीं की है जबकि कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि मे सूचनाऐं तैयार कर प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 10.01.2019 पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी ने इस प्रकार की सूचना संबंधी कोई पत्र प्राप्त नहीं होने से अवगत कराया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को कार्यालय समय मे उपस्थित होकर वांछित सूचना का नियमानुसार शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को सूचित किया गया था। किन्तु प्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होकर सूचना प्राप्त नहीं की है।	

अतः लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार वांछित सूचना 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)